पत्रांक - 684
दिनांक - 15/04/2025

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, राँची-834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषय: झारखण्ड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना (Jharkhand Grassroots Innovation Internship Scheme) लागू करने के सम्बन्ध में |

झारखंड राज्य को संस्कृति, भोजन, चिकित्सा, कला और संगीत के मामले में अपनी विविधता के लिए प्रख्यात है जिसे मैप किये जाने की आवश्यकता है | झारखंड के लोगों के सामाजिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीढ़ियों से चला आ रहा है और कभी भी समुदाय से बाहर नहीं गया है। लोगों की प्रथाओं, ज्ञान, जरूरतों और नवाचारों का पता लगाने, पहचानने, रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, इस ज्ञान का कोई विश्वसनीय भंडार राज्य के पास उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप की परिकल्पना की गई है ताकि वे अपनी कक्षा के बाहर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें। इसमें नवाचार के प्रमुख चालकों के रूप में "समुदाय से सीखना" और "अनुभवात्मक शिक्षा" की भी परिकल्पना की गई है।

इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति तथा पारस्परिक रूप से सहजीवी संबंध सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार तथा झारखंड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद {Jharkhand Council on Science Technology and Innovation (JCSTI)} द्वारा झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम {Jharkhand Grassroots Innovation Internship Scheme (JSIIS)} प्रारंभ किया जा रहा है।

2. नवाचार की परिभाषा

किसी भी अभ्यास/उत्पाद (practice / product) को 'नवाचार' कहलाने के लिए उसे निम्नलिखित तत्वों में से न्यूनत्तम किसी एक में परिवर्तन/विशिष्टता (change / uniqueness) आवश्यक है: -

(क) पद्धति (Method)

(ख) सामग्री (Material)

(ग) आवेदन (Application)

(घ) वितरण (Delivery)

अतः इस योजना के अंतर्गत पहचाने गए प्रत्येक अभ्यास/उत्पाद को नवाचार के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए उपर्युक्त मापदंडों के विरुद्ध परीक्षण किया जायेगा |

3. जमीनी स्तर के नवाचार (Grassroots Innovation) की परिभाषा

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशन द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार, जमीनी स्तर के नवाचार (Grassroots Innovation) का अर्थ है "कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, घरेलू या उपयोगिता, परिवहन, पशुधन आदि के क्षेत्र में नवाचार

जिससे कठिन परिश्रम में कमी आए, आजीविका का सृजन हो, मानव/पशु/कृषि समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक उपचार या पौधों की किस्मों का विकास हो, या कोई अन्य कम लागत वाली स्थायी हरित तकनीक हो |
यह बिना किसी सहायता/पर्यवेक्षण के (unaided/ unsupervised) होने चाहिए और बाहरी एजेंसियों से किसी तकनीकी सहायता के बिना किसी की रचनात्मकता का परिणाम होने चाहिए । समाज की लगातार समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियों/तकनीकों के लिए रचनात्मक विचार, जिन्हें प्रोटोटाइप में विकसित नहीं किया गया हो"।

4. अतः Grassroots Innovation को बढ़ावा देने के लिए योजना का स्वरुप तैयार किया गया है |

<u>योजना के उद्देश्य</u>

योजना के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(i) जमीनी स्तर पर पारंपरिक/समकालीन नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों तथा उनके नवप्रवर्तकों की पहचान करना।

(ii) जमीनी स्तर पर समाज के समस्या क्षेत्रों और आवश्यकताओं की पहचान करना |

(iii) यह पता लगाना कि किसी समुदाय/क्षेत्र की नवीन प्रथाओं को अन्य समुदायों/क्षेत्रों द्वारा दोहराया जा रहा है अथवा नहीं।

(iv) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, कला, शिल्प, पोषण एवं न्यूट्रास्युटिकल्स, आहार पद्धतियां, धातु, धातुकर्म, चिकित्सा, उपकरण और लिंग समावेशी पद्धतियां एवं प्रौद्योगिकियों एवं इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना।

(v) औपचारिक और अनौपचारिक नवीन प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, ताकि उन्हें अवधारणा से प्रोटोटाइप (concept to prototype) में परिवर्तित किया जा सके।

(vi) विद्यार्थियों की विचार प्रक्रिया में जिज्ञासा जगाना तथा उन्हें रचनात्मकता और नवाचार की ओर प्रेरित करना।

(vii) झारखंड स्टार्टअप नीति, 2023 के समर्थन से नवाचारों के माध्यम से उद्यमशीलता उद्यम शुरू करने के लिए छात्रों और जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों (Grassroots Innovators) को प्रोत्साहित करना।

5. **<u>योजना के अवयव</u>**

योजना के दो प्रमुख अवयव होंगे:-

(क) 8-सप्ताह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप

राज्य के निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों तथा उनके अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के इच्छुक और योग्य विद्यार्थियों को 8 सप्ताह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगी। इंटर्नशिप की अवधि में विद्यार्थियों को stipend भी दिया जायेगा |

(ख) नवाचारों, समुदाय-स्वामित्व वाले ज्ञान और अपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं की पहचान

इस योजना का उद्देश्य जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और उनके नवप्रवर्तनों की पहचान करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा हुआ ज्ञान और समुदाय के स्वामित्व को पहचानना, समाज की समस्याओं और

आवश्यकताओं की पहचान करना तथा किसी नवाचार या ज्ञान के लिए forward तथा backward linkage प्रदान करना है।

6. **<u>योजना का विस्तार</u>**

इस योजना का विस्तार झारखंड राज्य के सभी पंचायतों में होगा। पंचायत के जमीनी स्तर के नवाचारों और स्थानीय जरूरतों की पहचान करने के लिए 4 प्रशिक्षुओं के एक समूह को नामित किया जाएगा। इस योजना में राज्य की सभी (4345) पंचायतें शामिल होंगी। इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 17380 छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। यह इंटर्नशिप अधिमानतः (preferably) शैक्षणिक कैलेंडर के ग्रीष्मावकाश के 8-सप्ताह की अवधि में आयोजित की जाएगी।

7. **<u>लक्षित प्रशिक्षु (Targeted Trainees)</u>**

राज्य के निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों तथा उनके अंगीभूत एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से स्नातक, स्नातकोत्तर एवं इससे उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र-छात्राओं में से प्रत्येक वर्ष इस योजना के लिए प्रशिक्षुओं को चुना जाएगा। Academic Credit का लाभ निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित_पाठ्यक्रम के credit system के अनुसार दिया जायेगा |

8. **<u>कार्यान्वयन तंत्र</u>**

(क) **उच्च शिक्षा संस्थानों की पंचायतवार टैगिंग:** इस योजना के तहत, JCSTI, झारखंड राज्य की सभी पंचायतों को उनके आसपास के उच्च शिक्षा संस्थानों से जोड़ेगा। यह टैगिंग छात्रों, संकाय सदस्यों और प्रत्येक पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या की उपलब्धता को ध्यान में रखकर की जाएगी। इस प्रकार, प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के पास योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चुने जाने वाले छात्रों की एक पूर्व-निर्धारित संख्या होगी।

(ख) **छात्रों का चयन:** कंडिका 10 द्वारा गठित योजना के उच्चस्तरीय समिति द्वारा छात्रों के चयन हेतु SOP तैयार किया जाएगा ।

(ग) **इंटर्नशिप की अवधि:** यह इंटर्नशिप 8 सप्ताह की अवधि के लिए अधिमानतः शैक्षणिक कार्यक्रम के ग्रीष्मावकाश के दौरान होगी। छात्र को न्यूनत्तम 6 सप्ताह की अवधि के लिए क्षेत्र भ्रमण अनिवार्य होगा। छात्रों के ओरिएंटेशन/प्रशिक्षण के लिए 01 सप्ताह तथा प्रोजेक्ट प्रतिवेदन तैयार करने के लिए 01 सप्ताह की समय अवधि प्रदान की जाएगी।

(घ) **इंटर्नशिप अवधि के दौरान प्रशिक्षु का प्रतिस्थापन:** यदि कोई प्रशिक्षु किसी भी कारण से इंटर्नशिप छोड़ देता है, तो संबंधित विश्वविद्यालय योजना के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए प्रशिक्षु के स्थान पर प्रतिस्थापन प्रशिक्षु को नामित कर सकेंगे | इसके लिए विश्वविद्यालय के द्वारा चयनित प्रशिक्षुओं की एक waiting सूची तैयार रखनी होगी, जिससे प्रतिस्थापन प्रशिक्षु को नामित किया जाएगा |

(i) इस तरह के प्रतिस्थापन की अनुमति इंटर्नशिप के लिए चयन के उपरान्त किन्तु इंटर्नशिप के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा सकेगा।

(ii) ऐसी इंटर्नशिप से प्राप्त कोई भी या सभी शैक्षणिक क्रेडिट, वित्तीय लाभ पूरी तरह से प्रतिस्थापित प्रशिक्षु के पास रहेंगे और बाहर हुए प्रशिक्षु का कोई दावा नहीं होगा।

(ङ) **चयनित प्रशिक्षुओं के लिए stipend** :सभी चयनित प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए कुल 10,000 रुपये stipend का भुगतान निम्नवत किया जाएगा-

(i) 5,000 रुपये की पहली किश्त उनके orientation कार्यक्रम के पूरा होने और इंटर्नशिप के दूसरे सप्ताह के बाद छात्र द्वारा प्रारंभिक विजिट प्रतिवेदन जमा करने के उपरान्त दी जाएगी।

(ii) इंटर्नशिप अवधि के अंत में परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद 5,000 रुपये की दूसरी किश्त प्रदान की जाएगी।

(iii) Stipend का भुगतान Direct Benefit Transfer (डीबीटी) के माध्यम से छात्र के बैंक खाते में किया जाएगा।

(iv) जिस विद्यार्थी को पहली किश्त का भुगतान किया गया हो, यदि उसके द्वारा इंटर्नशिप को पूर्ण किये बिना बीच में छोड़ दिया जाता है तो उससे पहली किश्त की वसूली की जाएगी |

(च) **Mentors की नियुक्ति:** प्रशिक्षुओं के प्रत्येक समूह का नेतृत्व एक Mentor द्वारा किया जाएगा जो रजिस्ट्रार / प्रिंसिपल द्वारा नामित संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान के शिक्षक होंगे। रजिस्ट्रार / प्रिंसिपल एक Mentor के अन्दर प्रशिक्षुओं के कई समूहों को आवंटित कर सकते हैं, जो 05 (पांच) समूह प्रति Mentor से अधिक नहीं होंगे। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में Mentors की संख्या, उच्च शिक्षण संस्थान से इंटर्नशिप के लिए चुने गए छात्रों की संख्या पर निर्भर करेगी। यथासंभव Mentors के चयन में महिलायों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी | उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के संकाय सदस्य इस योजना के लिए Mentors होंगे। Mentors का चयन संबंधित HEI के रजिस्ट्रार / प्राचार्यों द्वारा किया जाएगा। सभी Mentors को योजना के Mentor of Mentors द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण ऑफलाइन मोड में किया जाएगा और JCSTI द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। JCSTI के द्वारा निम्नलिखित किश्तों में Mentors को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किया जायेगा : -

(i) किसी Mentor विशेष के अधीन सभी प्रशिक्षुओं द्वारा साप्ताहिक प्रतिवेदन के भाग के रूप में अपनी प्रारंभिक ज्वाइनिंग प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्बंधित Mentor को 10,000 रुपये की पहली किश्त दी जाएगी।

(ii) 10,000 रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान Mentor को तब किया जाएगा जब सम्बंधित Mentor के अधीन सभी प्रशिक्षुओं ने अपनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(छ) **Mentor of Mentors की नियुक्ति तथा मानदेय:** Mentors का प्रशिक्षण Mentor of Mentors द्वारा किया जाएगा। Mentor of Mentors अधिमानतः (preferably) सेवानिवृत्त या सेवारत वन और राजस्व अधिकारी, वैज्ञानिक, वनस्पतिशास्त्री और वर्गीकरण विज्ञानी आदि इसी प्रकार के विषय विशेषज्ञ होंगे। Mentor of Mentors की पात्रता मानदंड और चयन तंत्र उच्च स्तरीय समिति द्वारा तय किया जाएगा। Mentor of Mentors को योजना के ज्ञान भागीदारों (Knowledge Partners) द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

JCSTI के द्वारा Mentor of Mentors को प्रत्येक वर्ष, 04 महीने के लिए, रुपये 10,000 प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जायेगा, जो इंटर्नशिप शुरू होने से 01 महीने पहले शुरू होगा और इंटर्नशिप पूरी होने के 01 महीने बाद समाप्त होगा।

(ज) **प्रतिवेदन की प्रस्तुती:** इंटर्नशिप के दौरान, सभी प्रशिक्षु को अपनी इंटर्नशिप की पूरी अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रतिवेदन अपलोड करेंगे: -

(i) **साप्ताहिक प्रतिवेदन**: पहले सप्ताह के लिए, छात्र को अनिवार्य रूप से ओरिएंटेशन सत्र में भाग लेना होगा और एक प्रारंभिक कार्यभार प्रतिवेदन जमा करनी होगा। दूसरे से सातवें सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह के लिए प्रशिक्षु को सप्ताह में उनके द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण देते हुए प्रतिवेदन अपलोड करना होगा।

(ii) **विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन:** योजना के लिए विकसित समर्पित वेब-पोर्टल पर इंटर्नशिप अवधि के दौरान उनके कार्य के बारे में विद्यार्थियों के द्वारा एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जमा किया जाएगा |

सभी प्रतिवेदनों का प्रारूप योजना के ज्ञान भागीदारों (Knowledge Partners) द्वारा JCSTI के परामर्श से तैयार किया जाएगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जाएगा:

(i) इसमें नवप्रवर्तकों के साक्षात्कार, उनके नवप्रवर्तनों के फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो तथा ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए।

(ii) सभी टिप्पणियाँ लिखित रूप में होनी चाहिए।

(iii) सभी संचार अभिलेखों में दिनांक, समय, स्थान, स्थान का पता, नवप्रवर्तकों का नाम और फोन नंबर, उनका डाक पता तथा पिन कोड अंकित होना चाहिए।

(iv) सभी तस्वीरें जियोटैग की हुई होनी चाहिए।

(v) प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार किए प्रतिवेदन उदाहरणात्मक प्रकृति के होने चाहिए।

(vi) ग्रामीणों से कोई भी जानकारी एकत्रित करने से पहले प्रशिक्षु को इस योजना के लिए विकसित ऑडियो-विजुअल और हार्ड कॉपी प्रारूप में पूर्व सहमति (Prior Consent) प्राप्त करनी होगी।

(vii) प्रशिक्षुओं को प्रतिवेदन की तीन (03) प्रतियां तैयार करनी होंगी। एक (01) प्रति उस इनोवेटर को दी जाएगी, जिसके इनोवेशन को प्रशिक्षु के द्वारा पहचाना गया है। एक (01) प्रति ग्राम पंचायत के सरपंच को सूचना और ग्राम ज्ञान पंजी (Village Knowledge Register) में संकलन के लिए दी जाएगी। इस ग्राम ज्ञान पंजी का उपयोग पारंपरिक ज्ञान मानचित्रण के लिए भी किया जाएगा, ताकि एक स्थान का पारंपरिक ज्ञान दूसरे स्थान के लिए नवाचार साबित हो सके। अंतिम प्रति सूचना के लिए JCSTI को प्रस्तुत की जाएगी और प्रतिवेदन की सॉफ्ट कॉपी इस योजना के लिए निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(viii) सभी प्रशिक्षु, Mentors और Mentor of Mentors को पोर्टल पर एक Undertaking प्रस्तुत करनी होगी कि इंटर्नशिप की अवधि के दौरान बनाया गया कोई भी प्रतिवेदन, आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से, JCSTI की पूर्व अनुमति के बिना, किसी के साथ भी, किसी भी तरह से साझा नहीं किया जाएगा।

(ix) विलुप्त, संकटग्रस्त या संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी या ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतिवेदन पर झारखंड जैव विविधता बोर्ड के साथ पूर्व सूचना साझा किए बिना कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अपने Mentors की सलाह पर प्रशिक्षु अपने संबंधित कॉलेजों/संस्थानों में अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत कर सकेंगे ताकि अन्य छात्रों को प्रेरित किया जा सके। व्यक्तिगत प्रशिक्षुओं की सीख को विश्वविद्यालयों के द्वारा अपने नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है।

(झ) **परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन:**

परियोजना प्रतिवेदन के लिए तीन चरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

आकलन	तरीका	महत्व
अन्य प्रशिक्षुओं द्वारा Peer Review	सभी परियोजनाओं को मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षुओं के बीच randomly वितरित किया जाएगा।	50
सम्बंधित प्रशिक्षु से जुड़े न रहने वाले Mentors द्वारा समीक्षा	एक Mentor के अधीन सभी परियोजनाओं को मूल्यांकन के लिए अन्य Mentors के बीच randomly वितरित किया जाएगा।	50
	कुल	100

(i) सभी परियोजनाओं को उपरोक्त मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ii) उपर्युक्त मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर शीर्ष 25% परियोजनाओं को मूल्यांकन के लिए Mentor of Mentors को भेजा जाएगा।

(iii) सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को JCSTI द्वारा प्रतिष्ठित अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों और अन्य संगठनों/संस्थाओं के साथ साझा करने के लिए विचार किया जा सकेगा।

(iv) शीर्ष परियोजनाओं वाले प्रशिक्षुओं को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO), भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन (BARC), राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशन (NIF), आईआईटी, आईआईएम आदि जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में नेतृत्व विकास कार्यक्रम/दौरे के लिए विचार किया जा सकेगा।

(v) छात्रों द्वारा अपनी परियोजना प्रतिवेदन में पहचाने गए समस्या विवरण/स्थानीय आवश्यकताओं को सीएसआईआर, डीआरडीओ, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार तथा अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के साथ समाधान प्रदान करने और आवश्यक अनुसंधान एवं विकास करने के लिए साझा किया जाएगा।

(vi) JCSTI के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के विभागों, उच्च शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और संस्थानों की भागीदारी के साथ एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, ताकि समाज की अपूर्ण आवश्यकताओं या समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।

(ञ) **सम्मान समारोह:** JCSTI द्वारा असाधारण प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा। सभी प्रशिक्षुओं को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और उच्चतम श्रेणी वाले प्रशिक्षुओं को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। JCSTI के द्वारा इस योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ Mentors और Mentor of Mentors की पहचान करके उन्हें पुरस्कृत भी किया जा सकेगा।

(ट) **गुणवत्ता आश्वासन तंत्र (Quality Assurance Mechanism)**: JCSTI के द्वारा परियोजनाओं की गुणवत्ता और उनके मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन तंत्र (Quality Assurance Mechanism) विकसित किया जायेगा। यह ज्ञान भागीदारों (Knowledge Partners) और अन्य प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के सहयोग से छात्रों द्वारा प्रस्तुत उच्चतम / किसी अन्य श्रेणी की परियोजनाओं की नमूना जांच (Sample Check) कर सकेगा।

(ठ) **सत्यापन:** गुणवत्ता आश्वासन तंत्र (Quality Assurance Mechanism) के अलावा, छात्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदनों के नमूना-आधारित सत्यापन (Sample based Validation) के लिए भी प्रावधान होंगे। JCSTI के द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आदि जैसी सामाजिक अंकेक्षण में विशेषज्ञता रखने वाली एजेंसियों को शामिल करके नमूना सर्वेक्षण (Sample Survey) किया जा सकता है।

(ड) **राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन:** JCSTI योजना का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें सभी गतिविधियों, शामिल छात्रों, योजना के दौरान पहचाने गए नवाचारों और समस्या विवरणों, शीर्ष 100 परियोजना प्रतिवेदनों का अनुभवात्मक साझाकरण, योजना के माध्यम से उत्पन्न प्रभाव आदि का स्पष्ट विवरण होगा। सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के साथ यह वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ढ) **ज्ञान भागीदारों (Knowledge Partners) की सहभागिता:** राष्ट्रीय नवप्रवर्तन फाउंडेशन (एनआईएफ) और गुजरात ग्रासरूट इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क (GIAN) इस योजना के लिए Knowledge Partners होंगे। JCSTI आवश्यकतानुसार समय-समय पर अन्य संगठनों/संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकेगा। ज्ञान भागीदारों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी:-

(i) छात्रों की ऑनलाइन चयन परीक्षा के लिए प्रश्नावली तैयार करना,

(ii) Mentors और Mentor of Mentors के चयन के लिए मानदंड तैयार करना,

(iii) Mentor of Mentors का प्रशिक्षण,

(iv) Mentors द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना,

(v) प्रतिष्ठित संगठनों और संस्थानों के नेतृत्व कार्यक्रमों / दौरों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के बीच संबंधों को सक्षम बनाना,

(vi) झारखंड के नवप्रवर्तकों (Innovators) और नवाचारों (Innovations) के बारे में मौजूदा जानकारी उपलब्ध कराना,

(vii) योजना के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य गतिविधि।

9. <u>जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन</u>

(क) झारखंड के सभी जिलों में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाएगी। जिला स्तरीय समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-

उपायुक्त	अध्यक्ष
पुलिस अधीक्षक	सदस्य
उप विकास आयुक्त	सदस्य
जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य
जिले के सभी participating उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रमुख	सदस्य
अध्यक्ष की आवश्यकतानुसार सम्बंधित प्रखंड विकास अधिकारी	सदस्य

जिला स्तरीय निगरानी समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष इंटर्नशिप प्रारम्भ होने के पूर्व एक बैठक की जाएगी ताकि सुगमता से इंटर्नशिप कार्य संपन्न हो तथा किसी भी कठिनाई होने पर जिला प्रशासन से समन्वय में सुविधा हो | जिला स्तरीय निगरानी समिति के साथ समन्वय हेतु प्रत्येक वर्ष सम्बंधित जिला में अवस्थित किसी उच्च शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी को JCSTI के द्वारा सदस्य सचिव नामित किया जायेगा |

(ख) जिला स्तरीय निगरानी समिति की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगी:-

(i) जिला स्तर पर योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन |

(ii) उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ पंचायतों को जोड़ने तथा प्रशिक्षु समूहों के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना |

(iii) इंटर्नशिप अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना |

(iv) योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना।

(v) उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपेक्षित होने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना |

(vi) आवश्यकतानुसार Mentors और Mentor of Mentors की यात्रा और आवास के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

(vii) जिला स्तर पर योजना के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य निर्णय।

10. उच्च स्तरीय समिति का गठन

(क) योजना के सुचारू कार्यान्वयन और रोलआउट के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

कार्यपालक निदेशक, JCST।	अध्यक्ष
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के प्रतिनिधि, जो उप सचिव पद से अन्यून हो	सदस्य
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रतिनिधि, जो उप सचिव पद से अन्यून हो	सदस्य
निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा नामित झारखंड के किसी भी राजकीय विश्वविद्यालय के 02 प्रतिनिधि, जो कुलसचिव के पद से अन्यून हो	सदस्य
उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, जो उप निदेशक के पद से अन्यून हो	सदस्य
तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, जो सहायक निदेशक से अन्यून हो	सदस्य
गुजरात ग्रासरूट्स इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क से मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन से मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
तकनीकी पदाधिकारी, JCST।	सदस्य सचिव
अध्यक्ष के निर्देशानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य	

समिति योजना की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा योजना के सुचारू कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रत्येक तीन माह पर या अध्यक्ष द्वारा निर्देशित समय-समय पर बैठक आयोजित किया जायेगा।

(ख) उच्च स्तरीय समिति की शक्तियां निम्नानुसार होंगी: -

(i) योजना की समग्र प्रगति की निगरानी करना।

(ii) प्रशिक्षुओं के चयन हेतु SOP तैयार करना, संशोधित करना एवं स्वीकृत करना।

(iii) योजना के लिए आवश्यक पात्रता दस्तावेजों, SOP (मानक संचालन प्रक्रिया), DCF (Data Capture Format), प्रक्रिया प्रवाह, कार्यात्मक आवश्यकताओं आदि को मंजूरी देना।

(iv) योजना के लिए विकसित वेब पोर्टल की कार्यात्मकता और इंटरफेस को मंजूरी देना।

(v) छात्रों के चयन के लिए सामान्य प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नों को अंतिम रूप देना |

(vi) योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र छात्रों के पैनल को मंजूरी देना |

(vii) योजना के अंतर्गत किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान के लिए उपलब्ध स्लॉट की संख्या में परिवर्तन या संशोधन करना |

(viii) सभी समझौता ज्ञापनों (MoU) और समझौतों के प्रारूपों को मंजूरी देना |

(ix) योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समितियों और उप-समितियों का गठन, निगरानी और विघटन करना |

(x) समवर्ती अंकेक्षकों (Concurrent Auditors) का पैनल बनाना तथा उनके पैनल में शामिल होने की अवधि तय करना |

(xi) Empanelled Concurrent अंकेक्षकों द्वारा योजना से संबंधित Periodic अंकेक्षण कराना |

(xii) योजना की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करना और उसे तैयार करना |

(xiii) योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वार्षिक निधि सहित योजना से संबंधित वित्त का विश्लेषण करना |

(xiv) योजना के लिए वित्तीय एवं disbursement प्राधिकरण को हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करना |

(xv) योजना से संबंधित मानवबल, तकनीकी और हार्डवेयर आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदन करना और क्रय करना |

(xvi) योजना के लिए कुल निधि के भीतर आकस्मिकता निधि के व्यय सम्बन्धी निर्णय |

(xvii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण करना |

(xviii) प्रत्येक वर्ष आवेदन प्राप्त करने तथा सामान्य प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए वेब पोर्टल के खुलने और बंद होने की तिथि को अधिसूचित/परिवर्तित/संशोधित करना।

(xix) छात्रों को देय वजीफा, Mentors एवं Mentor of Mentors को देय मानदेय तथा उनके भुगतान की किस्तों में संशोधन करना।

(xx) योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक सलाहकारों को मंजूरी देना और नियुक्त करना

(xxi) योजना के सुचारू कार्यान्वयन और संचालन से संबंधित कोई अन्य निर्णय |

11. <u>उच्चाधिकार प्राप्त अनुश्रवण समिति (High Power Monitoring Committee)</u>

(क)उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा योजना की प्रगति की नियमित निगरानी के लिए प्रधान सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक High Power Monitoring Committee का गठन किया जायेगा।

(ख)उक्त समिति योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 2 (दो) समीक्षा बैठकें आयोजित करेगी।

(ग) High Power Monitoring Committee में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: -

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
निदेशक, पंचायती राज, पंचायती राज विभाग	सदस्य
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग से प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो	सदस्य
कार्यपालक निदेशक, Jharkhand Council on Science Technology and Innovation (JCSTI)	सदस्य सचिव

12. <u>छात्रों को अपेक्षित लाभ</u>

इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को निम्नलिखित मूल्य-आधारित लाभ प्रदान किया जायेगा:-

(i) अनुसंधान केन्द्रित चिंतन क्षमता का विकास;

(ii) स्थानीय समुदायों और उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता;

(iii) छात्रों में जागरूकता, सामान्य ज्ञान, विश्लेषणात्मक कौशल, तकनीकी कौशल और समूह कार्य की भावना में सुधार;

(iv) पर्यावरण के प्रति जागरूकता और स्थानीय परंपराओं के प्रति सम्मान पैदा करना;

(v) अनुसंधान में सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास;

(vi) ज्ञान साझाकरण और समुदाय निर्माण केंद्रित गतिविधि;

(vii) सामाजिक शासन और समुदाय आधारित निर्णय लेने की भावना को आत्मसात करना।

13. <u>योजना के परिकल्पित परिणाम (Outcome of the Scheme)</u>

(क) समुदाय को प्रतिक्रिया (Feedback to the Community): यदि नवप्रवर्तकों के नवाचार को Intellectual Property Rights के माध्यम से व्यावसायीकरण के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उन्हें और उनके नवाचारों को विधिवत मान्यता दी जाएगी। किसी भी नवाचार के लिए, उन्हें नवाचार और उससे उत्पन्न किसी भी वित्तीय लाभ पर विशेष अधिकार होगा। समुदाय-आधारित ज्ञान के लिए, विशेषाधिकार समुदाय के बुजुर्गों के पास होंगे। इसके अलावा, योजना के तहत पहचाने गए समुदाय की स्थानीय जरूरतों के किसी भी

समाधान को संबंधित समुदायों में लागू किया जाएगा और इन समाधानों के प्रभाव को मान्य करने के लिए उनकी विस्तृत प्रतिक्रिया एकत्र की जाएगी।

(ख) **सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण (Alignment with Sustainable Goals):** इस योजना का एक by-product संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचाने गए सतत विकास लक्ष्यों की पहचान करना, उन्हें एकीकृत करना और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में काम करना होगा। योजना के तहत पहचानी गई अपूर्ण ज़रूरतें और नवाचार सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति की ओर ले जाते हैं, विशेष रूप से, सतत विकास लक्ष्य - 1 (गरीबी का उन्मूलन), सतत विकास लक्ष्य - 2 (भूखमरी का उन्मूलन), सतत विकास लक्ष्य - 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण), सतत विकास लक्ष्य - 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), सतत विकास लक्ष्य - 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), सतत विकास लक्ष्य - 9 (उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा), सतत विकास लक्ष्य - 10 (असमानताओं में कमी), सतत विकास लक्ष्य - 13 (जलवायु कार्रवाई), और सतत विकास लक्ष्य - 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी)।

(ग) **उच्च शिक्षण संस्थान में समस्या विशेष अनुसंधान:** योजना के अंतर्गत पहचानी गई स्थानीय समस्याओं/आवश्यकताओं को केन्द्रित अनुसंधान विषय के रूप में उपयोग के लिए राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को भेजा जाएगा।

(घ) **नीति निर्माण पर प्रभाव:** प्रशिक्षुओं द्वारा पहचाने गए नवाचारों और अपूर्ण स्थानीय आवश्यकताओं का उपयोग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों जैसे कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, खान और भूतत्व विभाग, जल संसाधन विभाग और अन्य राज्य एजेंसियों द्वारा नीतियों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

(ङ) **सामाजिक कल्याण गतिविधियाँ:** इंटर्नशिप अवधि के दौरान, प्रशिक्षु पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के अधिकारियों के सहयोग से निम्नलिखित सामाजिक कल्याण गतिविधियों का भी आवश्यकतानुसार आयोजन में सहयोग करेंगे:-

(i) स्वास्थ्य शिविर: सामान्य जांच, टीकाकरण और स्वच्छता एवं पोषण पर जागरूकता सत्र के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित करना;

(ii) प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण: बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण सत्र प्रदान करना;

(iii) Waste Management Program: उचित Waste Management और पुनर्चक्रण अभ्यासों (recycling practices) पर समुदायों को शिक्षित करना;

(iv) जागरूकता अभियान: महिलाओं के अधिकार, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सत्र आयोजित करना;

(v) सामाजिक मुद्दे: बाल विवाह, लैंगिक समानता और मादक द्रव्यों के सेवन जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना;

(vi) सरकारी योजनाएँ: समुदाय के सदस्यों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना।

(च) **हनी बी नेटवर्क (Honey Bee Network) की भावना को विकसित करना:** इस इंटर्नशिप योजना के परिणाम के तहत हनीबी नेटवर्क की भावना को आत्मसात किया जायेगा, जैसे: -

(i) स्थानीय और स्थानीय भाषाओं में ज्ञान और नवाचारों का परस्पर परागण (cross pollination) |

(ii) व्यक्तियों और समुदायों के बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) का संरक्षण |

(iii) समुदायों के साथ वित्तीय और बौद्धिक लाभ साझा करना |

(iv) समुदाय के नेतृत्व और समुदाय आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान |

(छ) **Forward Linkage:** इंटर्नशिप योजना के निम्नलिखित परिणाम (Outcome) संभावित है:-

(i) **पेटेंट और व्यावसायीकरण की क्षमता वाले बुनियादी नवाचार:** जिन नवाचारों और उनके अन्वेषकों की पहचान व्यावसायीकरण की उच्च क्षमता और पेटेंट के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है, उन्हें जेसीएसटीआई द्वारा स्थापित किए जाने वाले पेटेंट सुविधा केंद्र (पीएफसी) द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, पेटेंट सुविधा केंद्र के द्वारा स्टार्टअप नीति, 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अन्वेषकों को सहायता भी प्रदान किया जायेगा।

(ii) **स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित समस्या विवरण:** छात्रों द्वारा चिह्नित समस्या विवरणों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, राज्य अनुसंधान पार्क के साथ केंद्रित अनुसंधान और समस्या समाधान के लिए साझा किया जाएगा।

(iii) **अज्ञात पारंपरिक ज्ञान:** छात्रों द्वारा प्रलेखित अज्ञात पारंपरिक ज्ञान को सत्यापन, दस्तावेजीकरण और अग्रेतर उपयोग के लिए ज्ञान साझेदारों (हनीबी नेटवर्क, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन फाउंडेशन), CSIR-TKDL, CSIR-NISCPR के साथ सावधानीपूर्वक साझा किया जाएगा।

(iv) **संकलित ज्ञान पर अनुसंधान और स्टार्टअप:** योजना के माध्यम से सृजित ज्ञान के भंडार का उपयोग राज्य प्रौद्योगिकी पार्क और राज्य अनुसंधान एवं नवाचार पार्क के भीतर और बाहर स्थापित स्टार्टअप्स द्वारा भी किया जाएगा।

(v) योजना से उत्पन्न कोई भी Research Project or publication or paper उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन से झारखंड राज्य अनुसंधान नवाचार और स्टार्टअप प्रमोशन बोर्ड या समान प्रकृति के संगठन के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(vi) उपर्युक्त परिणाम के अतिरिक्त अन्य परिणाम भी हो सकते हैं, जिन्हें उपयुक्त नीतियों/संगठनों से उपयुक्त रूप से जोड़ा जा सकता है।

(ज) परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स: योजना के प्रभाव और प्रभावशीलता का नियमित रूप से आकलन करने के लिए एक परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स बनाया जाएगा तथा उसका नियमित आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। एक सांकेतिक मैट्रिक्स इस प्रकार है:-

क्र.सं.	**परिणाम**	**Pre-GIIS**	**Post-GIIS**
1.	जमीनी स्तर पर नवाचारों की संख्या		
2.	जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों की संख्या		
3.	राज्य के विभागों हेतु चिन्हित समस्या कथनों की संख्या		
4.	पेटेंट के लिए चिन्हित बुनियादी नवाचारों की संख्या		
5.	व्यावसायीकरण के लिए चिन्हित बुनियादी स्तर के नवाचारों की संख्या		
6.	इंटर्नशिप के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या		
7.	Mentors से प्राप्त आवेदनों की संख्या		
8.	Mentor of mentors से प्राप्त आवेदनों की संख्या		
9.	बाहरी विशेषज्ञों / संगठनों द्वारा मान्य उच्चतम श्रेणी की परियोजनाओं की संख्या		
10.	क्या Grassroot Innovation Internship Scheme से प्राप्त सीख को शैक्षणिक प्रणाली में शामिल किया गया है?		

11.	Grassroot Innovation Internship Scheme से पहचाने गए नवाचारों और आवश्यकताओं पर आधारित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या		
12.	कोई अन्य मापदंड जिसे उच्च स्तरीय समिति उचित समझे		

14. <u>ऑनलाइन पोर्टल का विकास</u>

योजना से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक समर्पित वेब-पोर्टल झारखंड स्पेस अप्लीकेशन सेंटर (JSAC) या अन्य एजेंसियों के माध्यम से JCSTI द्वारा विकसित किया जायेगा तथा पोर्टल का रखरखाव किया जाएगा।

15. <u>योजना के लिए अनुमानित वित्तीय भार</u>

योजना के अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार की गणना निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	शीर्ष	प्रति इकाई लागत (A)	कुल इकाइयाँ (B)	वार्षिक लागत (रूपये) (C = A*B)
1.	प्रशिक्षुओं को stipend	10,000	17,380	17,38,00,000
2.	Mentors को मानदेय	20,000	869	1,73,80,000
3.	Mentor of Mentors को मानदेय	40,000	87	34,80,000
4.	Jharkhand Grassroot Innovations Internship Scheme वेब पोर्टल का विकास और वार्षिक रखरखाव			15,00,000
5.	Mentor of Mentors के लिए यात्रा, आतिथ्य और प्रशिक्षण व्यवस्था			10,00,000
6.	परियोजना अनुश्रवण इकाई (Project Monitoring Unit) की स्थापना			1,00,00,000
7.	अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार (डी)			20,71,60,000
8.	आकस्मिकता @ (डी) का 2%			41,43,200
9.	कुल अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार			21,13,03,200

आकस्मिकता निधि का उपयोग उच्च स्तरीय समिति द्वारा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित व्ययों जैसे फर्नीचर की खरीद, आईटी समाधान, योजना का प्रचार, समवर्ती अंकेक्षकों के व्यय, पुरस्कार, सम्मान समारोह की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यय आदि के लिए किया जाएगा।

झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के द्वारा सभी भुगतान किया जायेगा |

16. <u>बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights) का संरक्षण:</u>

चूंकि इस योजना से महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थों के साथ महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) उत्पन्न होने की उम्मीद है, इसलिए निम्नलिखित अनिवार्य मानदंडों का पालन किया जाएगा: -

(i) इस योजना के दौरान किसी भी छात्र, प्रशिक्षु, Mentors, Mentor of Mentors, अधिकारी या इस योजना से संबंधित व्यक्ति द्वारा तैयार या तैयार की गई किसी भी गतिविधि, प्रतिवेदन या दस्तावेज़ से, चाहे निहित रूप से या स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न कोई भी या सभी बौद्धिक संपदा पूरी तरह से नवाचार/ज्ञान के Innovator or Practitioner के पास होगी। समुदाय के स्वामित्व वाले ज्ञान या अभ्यास के मामले में, विशेषाधिकार समुदाय के बुजुर्गों के पास होंगे।

(ii) इस योजना के किसी भी परिणाम को शैक्षणिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से पहले नवप्रवर्तक या ज्ञान धारक (Knowledge Holder) या समुदाय की स्पष्ट अनुमति ली जाएगी।

(iii) नवप्रवर्तक या ज्ञान धारक या समुदाय, जैसा भी लागू हो, योजना से प्राप्त किसी भी ज्ञान का आंशिक या पूर्ण उपयोग करके तैयार किए गए किसी भी शैक्षणिक शोधपत्र या प्रकाशन के सह-लेखक होंगे और उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं तक लाभ साझा करने का लाभ लेंगे।

17. <u>राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन:</u>

JCSTI योजना का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, जिसमें सभी गतिविधियों, शामिल छात्रों, योजना के दौरान पहचाने गए नवाचारों और समस्या विवरणों, शीर्ष 100 परियोजना प्रतिवेदनों का अनुभवात्मक साझाकरण, योजना के माध्यम से उत्पन्न प्रभाव आदि का स्पष्ट विवरण होगा। JCSTI के द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के साथ यह वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

18. <u>आंतरिक अनुश्रवण प्रणाली</u>

(क)JCSTI द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति योजना की समग्र निगरानी, समन्वय और सुचारू कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी।

(ख)JCSTI द्वारा मौजूदा NICSI टियर 1 एजेंसी से प्राप्त पेशेवर परामर्शदाताओं की परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) स्थापित की जाएगी, जो उच्च स्तरीय समिति को उसके निर्धारित कार्यकलापों में सहायता करेगी।

(ग) परियोजना अनुश्रवण इकाई (पीएमयू) High Power Monitoring Committee/ High Level Committee द्वारा अपेक्षित होने पर कोई भी जानकारी उपलब्ध कराएगी।

(घ) योजना के अंतर्गत आवश्यकतानुसार एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा जो योजना के संबंध में छात्रों के प्रश्नों के समाधान के लिए सहायता केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

19. <u>समवर्ती अंकेक्षण</u> (Concurrent Audit)

पूरी पारदर्शिता की भावना से, योजना का समवर्ती वित्तीय अंकेक्षण (Concurrent Financial Audit) पैनल में शामिल समवर्ती अंकेक्षकों द्वारा किया जायेगा और विस्तृत प्रतिवेदन उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। उच्च स्तरीय समिति इन प्रतिवेदनों का विश्लेषण करेगी और भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी।

20. <u>विवादों का निपटारा</u>

योजना के लिए तीन-चरणीय विवाद समाधान तंत्र विकसित किया जाएगा-

(i) योजना के किसी भी अवयव से संबंधित कोई भी विवाद सर्वप्रथम उच्च स्तरीय समिति को भेजा जाएगा। उच्च स्तरीय समिति को यथासंभव सभी पक्षों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान की तलाश करनी होगी।

(ii) यदि उच्च स्तरीय समिति का निर्णय किसी पक्ष को स्वीकार्य नहीं है, तो वे आगे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति से संपर्क कर सकते हैं।

(iii) समाधान नहीं निकलने पर किसी भी अन्य विवाद का निपटारा राँची, झारखंड स्थित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

21. उक्त राशि राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा- लघु शीर्ष- 004/796- अनुसंधान/ जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उप शीर्ष- 41- झारखण्ड कौंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राँची- सहायता अनुदान- विस्तृत शीर्ष- 06- अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) इकाई के अंतर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा |

22. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद दिनांक-08.04.2025 को संपन्न बैठक में मद संख्या-08 के रूप में की स्वीकृति प्रदान की गयी है |

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय |

15.4.25

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव |